

समझौता ज्ञापन 2025-26	
सीपीएसई और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग	
कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	रेल मंत्रालय

क्षेत्र: (स्टैंडअलोन)

उद्देश्य, जिम्मेदारियां और संचालन ढांचा:

जैसा कि डीपीई के सीपीएसई के परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए समझौता ज्ञापन फ्रेमवर्क में बताया गया है।

वर्ष **2026-27** के लिए पैरामीटर-के अनुसार वार्षिक लक्ष्य

भाग-I: मुख्य मापदंड

क्र.स.	मापदंड	यूनिट	वेटेज	लक्ष्य 2026-27
1	परिचालन से राजस्व	₹ करोड़	17	4400.00
2	कुल टन किलोमीटर (जीटीकेएम)	मिलियन	27	18288.00
3	प्रशासनिक मंत्रालय की प्राथमिकताओं हेतु ब्लॉक		5	अनुलग्नक ए के अनुसार
4	पूँजी व्यय	₹ करोड़	10	150.00
5	ईबीआईटीडीए (कुल आय का प्रतिशत)	%	8	14.07
6	निवेशित पूँजी पर रिटर्न	%	10	9.05
7	परिसंपत्ति कारोबार अनुपात	%	4	49.00
8	नकदी के प्रवाह का सही प्रबंध करना (संचालन से राजस्व का प्रतिशत)	%	4	5.00
9	प्रति शेयर आय	₹	10	57.73
10	लाभांश भुगतान	%	5	100.00
कुल			100	

भाग-II: अनुपालन मापदंड

क्र.स.	मापदंड	अंक
1	सीएसआर व्यय पर डीपीई दिशा-निर्देश	-1
2	कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी अधिनियम, 2013 (या सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में सेबी (एलओडीआर) विनियम) के प्रावधानों का अनुपालन जैसे: (ए.) निदेशक मंडल की संरचना (बी.) बोर्ड समितियां (सी.) बोर्ड तथा समितियों की बैठकें आयोजित करना (डी.) संबंधित पार्टी लेन-देन (ई.) प्रकटीकरण और पारदर्शिता	-3.0 (0.60 प्रति)
3	सभी परिचालन टीआरईडीएस प्लेटफार्मों पर सीपीएसई को शामिल करना।	-1
4	एमएसएमईडी अधिनियम में निर्धारित एमएसई विक्रेताओं को समय पर भुगतान	-3 (ग्रेड दिया गया)
5	वस्तु एवं सेवाओं की खरीद (कुल खरीद के % के रूप में), से- ए. सभी एमएसई - 25% बी. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई - 4% सी. महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई - 3%	-2 (0.66 प्रति)
6	उत्तराधिकार योजना और नेतृत्व विकास कार्यक्रम	-1
7	अतिरिक्त गैर-मुख्य परिसंपत्तियों (भूमि और भवन) का मुद्राीकरण प्लान	-1
8	नई तकनीकों को अंगीकार करने की योजना	-1

नोट:

- (i) प्रशासनिक मंत्रालय की प्राथमिकताओं (जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो) सहित मुख्य मानदंडों का मूल्यांकन लक्ष्य के 50% से 100% के बीच की प्राप्ति के लिए सिवाय शेयरधारकों को कुल रिटर्न मानदंड के मामले के आनुपातिक अंकन के आधार पर किया जाएगा और लक्ष्य के 50% से कम की प्राप्ति पर शून्य अंक दिए जाएंगे।
- (ii) विनिमय दरों में परिवर्तन, कच्चे माल या तैयार माल की विनियामक कीमतों, मार्जिन में कमी, या किसी अन्य कारण से निर्धारित लक्ष्यों या उपलब्धियों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्हें सामान्य व्यावसायिक स्थितियां माना जाता है, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।
- (iii) कुल अंक, अनुपालन मापदंडों की पूर्ति पर निर्भर करेंगे। अनुपालन में विफलता की स्थिति में पूर्ण अंक काटे जाएंगे, जैसा कि दर्शाया गया है, और इसमें कोई आंशिक या आनुपातिक कटौती नहीं की जाएगी।
- (iv) सालाना अचीवमेंट्स को कैलकुलेट करते समय, स्टैच्युटरी ऑडिटर्स की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (सीए एंड जी) से मिली कोई भी क्वांटिफाइड क्वालिफिकेशन्स को रेवेन्यू, प्रॉफिट, सरप्लस वगैरह में उसी हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा।
- (v) पूंजीगत व्यय लक्ष्य का निर्धारण बजट व्यय प्रोफाइल के विवरण 26 (सार्वजनिक उद्यमों में निवेश) या मंत्रालय के दृष्टिकोण, जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जाता है। पूंजीगत व्यय लक्ष्य में किसी भी प्रकार की कमी पर विचार नहीं किया जाएगा; हालांकि, यदि संशोधित अनुमान या पूंजीगत परिव्यय मौजूदा लक्ष्य से अधिक हो जाते हैं, तो वृद्धि की जा सकती है। यह पैमाना 100 करोड़ रुपये के न्यूनतम लक्ष्य के अधीन लागू है।
- (vi) एमओयू में निम्नलिखित के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं: (i) शेयरधारकों पर कुल रिटर्न (यदि लागू हो) और (ii) लाभांश भुगतान। इन पैमानों का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, एमओयू दिशानिर्देशों में निहित पद्धति के अनुसार, निर्धारित बेंचमार्क के मुकाबले उपलब्धियों के आधार पर किया जाएगा।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सचिव, रेल मंत्रालय

दिनांक: 28-09-2026

दिनांक: 30-09-2026

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(रेल मंत्रालय)

प्रशासनिक मंत्रालय की प्राथमिकताओं के लिए अवरोध

क्रम संख्या	पैरामीटर	यूनिट	प्रभाव	लक्ष्य
1.	शुरुआती माल की लोडिंग	मीट्रिक टन	5	2.60

मूल्यांकन पद्धति:

क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित पैरामीटर के अंक वास्तविक उपलब्धि के आधार पर आनुपातिक रूप से आवंटित किए जाएंगे।

संदर्भ:

ए. आईएमसी मिनट्स दिनांक 25.08.2026.

ख. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) का कार्यालय ज्ञापन संख्या 2022/पीएल/57/01 दिनांक 08.07.2026